छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3542/2003.

याचिकाकर्ता : श्रीमती द्रोपदी देवी, पति स्व. श्री एस. पी. सिंह, उम्र 50 वर्ष निवासी कोरिया कॉलेरी, जिला - कोरिया (छ.ग.)

//बनाम//

उत्तरदातागण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, परिवहन विभाग, डी. के. भवन रायपुर (छ. ग.);
2. प्रभारी, ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग स्क्वायड, अम्बिकापुर;
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2004:CGHC:1500

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3542/2003

श्रीमती द्रोपदी देवी

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09.02.2004 के लिए पोस्ट करें

सही /–
(एल.सी. भादू)
न्यायमूर्ति

2004:CGHC:1500

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3542/2003

श्रीमती द्रोपदी देवी

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उत्तरवादी संख्या 1 से 3 हेतु श्री संजय के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता।

आदेश

(9 फरवरी, 2004 को पारित)

न्यायाधीश एल.सी. भादू के अनुसार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाकर्ता जो बस संख्या सी.जी. 16–जेडए/0130 का पंजीकृत स्वामी है, ने 18.10.2003 के जप्ती ज्ञापन को चुनौती देते हुए तथा यान की अवैध जप्ती के लिए 1,00,000/– रुपये की अनुकरणीय लागत दिए जाने के लिए यह रिट याचिका दायर की है।

2. इस रिट याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्टेज कैरिज परमिट (Stage Carriage Permit) के सामर्थ पर परिवहन व्यवसाय कर रहा है, याचिकाकर्ता के पास चिरमिरी से बुधरीपारा और रतनपुर होते हुए बचरा पोड़ी मार्ग के लिए नियमित परमिट क्रमांक 758–बी/98 है। नियमित परमिट की अवधि 7.7.2003 को समाप्त हो गई थी और नवीनीकरण आवेदन लंबित है। नियमित परमिट के लिए आवेदन लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने अगस्त और सितंबर, 2003 के महीने के लिए अस्थायी परमिट प्राप्त किया था। हालांकि, 30 सितंबर 2003 को याचिकाकर्ता ने आर.टी.ओ. बिलासपुर को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता अक्टूबर, 2003 महीने के लिए अस्थायी परमिट लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यान को मरम्मत की आवश्यकता है, आवेदन की प्रति अनुलग्नक पी/3 है। याचिकाकर्ता ने माह अक्टूबर 2003 के लिए मोटर यान कर की राशि 8000/– रुपये भी 10.10.2003 को जमा कर दी थी, चालान की प्रति अनुलग्नक पी/4 है।

3. 18.10.2003 को परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने उस मोटर यान जो मरम्मत के अधीन थी, को जप्त कर लिया क्योंकि वाहन परमिट से आच्छादित नहीं था और न ही चालक के पास लाइसेंस था। वाहन को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207 और मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 16 (3) के प्रावधानों के तहत जप्त किया गया था (जिसे इसके बाद 'अधिनियम 1991' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। जप्ती ज्ञापन की एक प्रति अनुलग्नक पी/5 है। कराधान अधिकारी द्वारा कोई कर निर्धारण का आकलन आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही कोई मांग नोटिस जारी किया गया है, इसलिए, यान की जप्ती स्पष्ट रूप से अवैध है और अधिकारिता रहित है। न तो याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किया गया है और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(3) के तहत इसकी मरम्मत के उद्देश्य से यान के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि जप्ती ज्ञापन को रद्द कर दिया जाए, यान को मुक्त किया जाए और याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुकरणीय लागत दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरदाता क्र. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1991 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ उठाना चाहिए था क्योंकि यह याचिकाकर्ता को उपलब्ध वैकल्पिक और प्रभावी उपचार है. अधिकांश तथ्यों को प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया है, हालांकि उन्होंने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि 18.10.2003 को यान बिना परमिट के चलते पाया गया था जिस पर जप्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और पंचनामा की प्रति अनुलग्नक आर/2 के रूप में प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण करने पर पता चला कि वाहन में 14 यात्री सवार थे। यात्रियों की सूची की प्रति अनुलग्नक आर/3 के रूप में प्रस्तुत की गयी है। तीन यात्रियों के बयान की प्रति अनुलग्नक आर/4 के रूप में भी प्रस्तुत की गई है और यान खड़गवा थाना के परिसर में रखा गया है। इसलिए याचिका ख़ारिज की जाए।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. रावत और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल को सुना है।

6. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 18.10.2003 को याचिकाकर्ता के पास कोई परमिट नहीं था. याचिकाकर्ता का दावा है कि यान मरम्मत के अधीन था इसलिए अक्टूबर, 2003 के महीने के लिए अस्थायी परमिट याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था और उस प्रभाव के लिए एक सूचना 30 सितंबर, 2003 को प्रस्तुत की गई थी, दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के पक्ष के अनुसार

18.10.2003 में विचाराधीन यान चिरमिरी से बचरापोडी तक 14 यात्रियों को ले जा रहा था, उन यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए गए थे इसलिए यान को परिवहन विभाग के उड़न दस्ता के द्वारा जप्त कर लिया गया था, जप्ती ज्ञापन और पंचनामा तैयार किए गए थे, यात्रियों के बयान दर्ज किए गए थे। चूंकि यान बिना परमिट के चल रहा था इसलिए उन्होंने 50,000/– रुपये का कर अध्यारोपित किया।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यान को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 207 के तहत जप्त किया गया था, इसलिए यान को जप्त करने के बजाय धारा 207 के प्रावधान के अनुसार; उड़न दस्ता के अधिकारियों को यान के दस्तावेज़ों को अपने क़ब्ज़े में लेना चाहिए था। दूसरी ओर विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि वाहन को अधिनियम, 1991 की धारा 16(3) के तहत जप्त किया गया था क्योंकि यान वैध परमिट और कर के भुगतान के बिना यात्रियों को ले जाते हुए पाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार सामान्यतः कर अग्रिम रूप से देय होता है। धारा 3 के अनुसार राज्य में उपयोग में लाए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे जाने वाले प्रत्येक मोटरयान पर प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दर से कर लगाया जाएगा। धारा 4(2) के अनुसार एक परिवहन मोटरयान जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र चालू है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, यह माना जाएगा कि वह उपयोग में है या उपयोग के लिए रखा गया है, परिवहन वाहन के मामले में फिटनेस के प्रमाण पत्र की समाप्ति के बावजूद। धारा 8 के लिए प्रत्येक मालिक को कराधान प्राधिकरण के साथ एक घोषणा दर्ज करने की आवश्यकता होती है और ऐसी घोषणा की प्राप्ति के बाद 'कर' निर्धारित किया जाता है। अधिनियम की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि घोषणा परिवहन मोटरयान के लिए फॉर्म बी में होगी। नियमों के साथ संलग्न फॉर्म बी के अवलोकन से पता चलता है कि वाहन के मालिक को उस फॉर्म में उसके द्वारा रखे गए परमिट का विवरण देना होगा। इस प्रकार आरंभबिन्दु, अधिनियम के अधीन 'कर' के निर्धारण के लिए प्रारंभ करने की बात अधिनियम की धारा 8 के अधीन घोषणा प्रस्तुत करना है और ऐसा करने के लिए पूर्व शर्त मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के अधीन विधिज्ञात है । इस परमिट की अनुपस्थिति में मूल्यांकन के लिए सामान्य प्रक्रिया और परिवहन वाहन के अग्रिम कर का भुगतान बाधित हो सकती है।

9. प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि IV (जी) 'मोटर वाहन बिना अनुमति के चल रहा है।' पर कर लगाने का प्रावधान है, यह कराधान का असाधारण तरीक़ा है। इसमें अंतर्निहित दंड है। अनुसूची के साथ संलग्न स्पष्टीकरण (1) में प्रावधान है कि जिन यात्रियों को वाहन को ले जाने की अनुमति है, उनकी संख्या बिना परमिट के किराए या प्रतिफल के लिए चलने वाले मोटर वाहन के मामले में अधिकतम व्यक्तियों या यात्रियों की संख्या होगी जिन्हें वाहन को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है, यदि परमिट दिया गया था। इसका मतलब है कि ऐसे मामले में कर वाहन में यात्रियों की संख्या की परवाह किए बिना पूरी पंजीकृत क्षमता के अनुसार देय है। वर्तमान मामले में वाहन की क्षमता 50 यात्री थी, इसलिए स्वीकार्य कर के अनुसार प्रति यात्री 1000/– रुपये, कर के रूप में 50,000/– रुपये अध्यारोपित किया गया था।

10. अधिनियम की धारा 8(4) में यह प्रावधान है कि यदि स्वामी उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा प्रस्तुत करने से चूक जाता है तो कराधान प्राधिकारी, स्वामी से उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा स्वतः देय कर की राशि निर्धारित कर सकेगा तथा उसे ऐसे रूप में तथा ऐसे समय के भीतर भुगतान करने की सीमा निर्धारित कर सकेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। धारा 15 में कराधान प्राधिकारी द्वारा मांग नोटिस की तामील का प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. धारा 16, कर का भुगतान न करने के मामले में मोटरयानों के प्रवेश, जप्ती और निरुद्ध करने की शक्ति निर्धारित करती है। धारा 16 की उपधारा (3) और (4) इस प्रकार हैं:

(3) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटरयान का उपयोग, शोध्य कर, शास्ति या ब्याज का संदाय किए बिना, किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे मोटरयान को जप्त कर सकेगा तथा उसे निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा जो ऐसे अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और शोध्य कर की वसूली के लिए उचित समझा जावे ।

(4) जहां उप–धारा (3) के तहत किसी मोटरयान को जप्त तथा निरुद्ध कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे वाहन का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सुसंगत दस्तावेजों के साथ वाहन को निर्मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी का ऐसे दस्तावेज़ों का सत्यापन के

पश्चात यह समाधान हो जाता है की उस वाहन की बाबत् कर की कोई रकम शोध्य नहीं है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे वाहन को निर्मुक्त कर सकेगा।"

12. नियम, 1991 का नियम 17 इस संदर्भ में सुसंगत है और यह इस प्रकार है:–

"17 **कर का संदाय न किए जाने की दशा में मोटरयान की जप्ती और निरोध के लिए प्रक्रिया** – (अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (3) के अधीन मोटरयान के जप्ती का ज्ञापन और जप्ती और निरोध का आदेश क्रमशः फॉर्म U–1 और U–2 में किया जावेगा, और उसकी प्रतियां उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके क़ब्ज़े या नियंत्रण से ऐसा मोटरयान को जप्त किया गया है और निरुद्ध रखा गया है)

(2) जप्त और निरुद्ध किया गया मोटरयान निकटतम पुलिस थाने पर अथवा कराधान प्राधिकारी या मोटरयान को जप्त करने वाले अधिकारी के विवेक पर किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(3) निरुद्ध किए गए यान को उसका जप्ती करने वाले अधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा शोध्य कर, शास्ति और ब्याज का संदाय कर दिए जाने पर छोड़ दिया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अधिनियम की धारा 8(4), 15 और 16 तथा नियमों के नियम 17 का संयुक्त पठन यह दर्शाता है कि यान की जप्ती और निरोध तब तक जारी रहेगी जब तक कि बिना परमिट के चलने वाले यान पर कर का संदाय नहीं किया जाता है। प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि IV (जी) के अनुसार कर के संदाय के बिना यान को छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान के अनुसार यान को सड़क पर लाने से पहले कर का अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए। स्वामी को सुनने और उस पर मांग नोटिस देने के बाद धारा 8(4) के अनुसार जितनी जल्दी हो सके कर निर्धारित करने के लिए कराधान प्राधिकारी पर कर्तव्य डाला गया है। इस प्रक्रिया के दौरान कराधान प्राधिकारी स्वामी द्वारा उठाए गए तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर भी निर्णय लेगा। अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्धारित प्राधिकारी से अपील करने का प्रावधान है।

14. जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्राधिकार का प्रश्न है, ए.आई.आर. 1993 एम.पी. 29 (महेंद्र अरोड़ा एवं अन्य बनाम परिवहन आयुक्त, एम.पी. ग्वालियर एवं अन्य) पैरा–29 का संबंध है, जिसमें यह माना गया है कि जब कोई सार्वजनिक सेवा को किराए या प्रतिफल के लिए चलाया जाता हुआ पाया जाता है और वास्तव में यात्रियों के परिवहन के लिए उस व्यापार में संलग्न होने के लिए अधिकृत विधि के अनुसार जारी वैध परमिट के बिना प्रयोग किया जाता है, तो यान का मालिक प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि IV की मद (जी) के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह देखा गया है कि अधिनियम

की धारा 16(3) के तहत जप्ती से बचने के लिए परमिट प्राप्त करने और अधिनियम के तहत परिकल्पित कर का अग्रिम भुगतान करने की दो शर्तें पूरी की जानी हैं। विधिक आवश्यकता यह है कि सबसे पहले विधिवत परमिट प्राप्त किया जाना चाहिए और फिर भुगतान करते समय घोषणा में उसका विवरण विधिवत भरा जाना चाहिए। आगे कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि "संदाय कर की वसूली के लिए धारा 16(3) के तहत जप्ती और निरुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि यही इसका उद्देश्य और प्रयोजन है और उप–मद (जी) के अनुसार लगाया गया और देय कर भी "संदाय कर" है। जप्ती अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

15. खंडपीठ का दूसरा निर्णय नवीन बनाम राज्य एम.पी. है, जो 1994 एमपीएल 681 में रिपोर्ट किया गया था जिसमें यह अवधारित किया गया था कि कर योग्य घटना सार्वजनिक सेवा यान के रूप में यान का उपयोग है। संतुष्टि कराधान प्राधिकारी की है। इस तरह की संतुष्टि जांच के कार्य में निहित है, जो जप्ती और मूल्यांकन की ओर ले जाती है। आगे यह भी माना गया है कि अधिनियम की धारा 16 याचिकाकर्ता को प्राधिकारी से संपर्क करने और अभिलेख के साथ करें या अन्यथा यह संतुष्ट करने में सक्षम बनाती है की कर का भुगतान नहीं किया गया है। धारा 20 अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने का प्रावधान करती है, बेशक इस शर्त के अधीन कि कर का भुगतान किया जाना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी के पास क्षेत्राधिकार के साथ–साथ एक अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवादों पर विचार करने और उसके सामने उपलब्ध सामग्री के आधार पर उचित और सही निर्णय पर पहुंचने का कर्तव्य भी है। यह एक प्रभावी, प्रभावकारी और वैकल्पिक उपचार प्रतीत होता है। मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्य के विवादित प्रश्नों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हैं, तो विचाराधीन वाहन को 18.10.2003 को जप्त कर लिया गया था, जबकि चिरमिरी से बछरा पोडी तक 14 यात्रियों को ले जा रहा था और विधि के तहत जप्ती ज्ञापन आवश्यक रूप से तैयार किया गया था, यात्रियों की सूची भी तैयार की गई थी और यात्रियों के बयान दर्ज किए गए थे। जप्ती की सूचना कर प्राधिकारी को दी गई थी। याचिकाकर्ता की याचिका के अनुसार उस अवधि के दौरान यान की मरम्मत की जा रही थी इसलिए कोई परमिट प्राप्त नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ एक झूठा मामला तैयार किया गया है। जबकि दूसरी ओर उत्तरवादियों ने जप्ती ज्ञापन, यात्रियों के बयानों की प्रति प्रस्तुत की है और कहा है कि सुसंगत समय में विचाराधीन बस द्वारा यात्रियों को टिकट जारी किए बिना 14 यात्रियों को ले जा रही थी। इसलिए, जैसा कि

नवीन (उपरोक्त) के मामले मे अवधारित किया गया है, विवादित प्रश्न इस याचिका में शामिल हैं. याचिकाकर्ता का दावा यह है कि परमिट प्राप्त नहीं किया गया था, क्योंकि यान को मरम्मत की आवश्यकता होती है जबकि उत्तरदाताओं का मामला यह है कि यान को परमिट के बिना उपयोग किया जा रहा था।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए उचित तरीका यह था कि वह अधिनियम, 1991 की धारा 16 के तहत उचित कराधान प्राधिकारी से संपर्क करता और सभी दस्तावेज प्रस्तुत करता तथा विधि के अनुसार संबंधित प्राधिकारी से न्यायनिर्णयन के लिए निवेदन करना चाहिए। लेकिन संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने के बजाय याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह रिट याचिका दायर करना पसंद किया और याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छुपा दिया कि विचाराधीन यान 18.10.2003 को परिवहन विभाग के उड़न दस्ते द्वारा यात्रियों को ले जाते हुए पाया गया था। इसलिए, यह न्यायालय तथ्यों के इन विवादित प्रश्नों पर न्यायनिर्णयन करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकता, याचिकाकर्ता के पास संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने का प्रभावी और समान रूप से प्रभावी उपचार है और उसके बाद यदि वह व्यथित है तो अधिनियम की धारा 20 के तहत अपील दायर कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरी राय है कि इस याचिका में कोई सार नहीं है, जो ख़ारिज किए जाने योग्य है और ख़ारिज की जाती है।

सही /–

(एल.सी. भादू)
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा मे इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप की अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Niraj Baghel